

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16TH MARCH , 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 16th March , 1998


NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.844(E) dated the 17th October, 1995 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, Equipments and furnishing of Dr. S.R.K. Malik Memorial Eye Hospital at Mukhamilpur Village, Delhi of MMR Research and Eye Care Foundation, B-15, Swasthya Vihar, Delhi as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Equipments and furnishing of Dr. S.R.K. Malik Memorial Eye Hospital at Delhi of MMR Research and Eye Care Foundation, B-15, Swasthya Vihar, Delhi, at the estimated cost of rupees one hundred forty eight lakhs eighty nine thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.



(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10555
F.No. NC-9/98

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड 11 में क्रमांक 16
को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 1998

अधिसूचना


सां० आ०—आ० आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 3 के साथ पठित उपधारा 1 के अंतर्गत जारी दिनांक 17 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 844/आ० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एम०एम०आर० रिसर्व एण्ड आई केयर फाउंडेशन बी-15, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली के डा० एन० आर० के० मलिक मेमोरियल आई अस्पताल गांव-मुजफ्फरपुर दिल्ली के उपरकर उपलब्ध करने एवं सज्जित करने के लिए वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अधिसूचना स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था,

और चूंकि इस परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है,

और चूंकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है समिति ने आयकर अधिनियम 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत इसे तीन वर्ष की और आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है,

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 3 के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम०एम०आर० रिसर्व एण्ड आई केयर फाउंडेशन

बी-15, स्वास्थ्य विहार दिल्ली के डाटासंग्रह के मूलिक मेमोरियल आई अस्पताल दिल्ली के उपरकर उपलब्ध कराने और सज्जत करके की रडीम अथवा परियोजना को मात्र एक ही अड़तालीस लाख उन्सवे हजार रुप की अनुमानित लागत से कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ होवे वाले तीस कर-निर्धारण वर्षों की प्राने की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।



दीने सहभा

उप-सचिव, भारत सरकार

सं० ..10555

फा०सं० र०सं०-9/98